वित्तीय स्वीकृति

संख्या-3/2024/088/18-2-2024-18-2099/268/2022

प्रेषक

अशोक कुमार तिवारी
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 23 जनवरी, 2024

विषयः-उद्यमिता विकास संस्थान में नये भवन के निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-429/उ0वि0अनु0-9/उद्यमिता विकास/2023-24, दिनांक 09-01-2024 एवं शासनादेश संख्या-25/2023/213/18-2-2023-18-2099/268/2022, दिनांक 23-3-2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उद्यमिता विकास संस्थान में नये भवन के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत रू0 542.91 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 271.45 लाख में से उद्यमिता विकास संस्थान को इन्सटीट्यूट आफ एक्सीलेन्स के रूप में विकसित करने के लिये अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राविधानित धनराशि रू0 188.82 लाख (रूपये एक करोड़ अठासी लाख बयासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन निर्गत किये जाने की मा0 राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) उपर्युक्त निर्माण कार्य को कार्यदायी संस्था द्वारा अनुमोदित लागत में ही पूर्ण कराया जायेगा यदि लागत में वृद्धि होती है तो उसे निर्माण एजेन्सी द्वारा अपने श्रोतों से वहन किया जायेगा। प्रस्तावित निर्माण कार्य के ब्योरेवार नक्शे और अनुमान तैयार करके विस्तृत आगणन पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लिये जाने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। निर्माण कार्य समयबद्वता से कराया जायेगा तथा गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिया किया जायेगा जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर उद्यमिता विकास संस्थान, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी एवं संस्थान द्वारा उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जांय।

(5) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, उद्यमिता विकास संस्थान, लखनऊ की होगी तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

(6) आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0 या डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) निदेशक, उद्यमिता विकास संस्थान, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

2- उपरोक्त आवंटित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में निर्गत दिशा-निर्देशों व समय-समय पर निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मितव्ययिता सम्बन्धी जारी शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जायेगा एवं अनावश्यक व्यय नहीं किया जायेगा। उपरोक्तानुसार होने वाले व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-13 पर नियमित रूप से शासन के सम्बन्धित अनुभागों को प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उपरोक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय अनुदान संख्या-3 के लेखाशीर्षक "4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-102-लघु उद्योग-03-उद्यमिता विकास संस्थान को इन्सटीट्यूट आफ एक्सीलेन्स के रूप में विकसित करने के लिये अवस्थापना सुविधाओं का विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

अशोक कुमार तिवारी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
3- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
4- निदेशक, उद्यमिता विकास संस्थान, लखनऊ ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं साख्यिकीय निदेशालय, 125, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 लघु उद्योग निगम, कानपुर।
6- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3/2 (गार्ड फाइल)।

आज्ञा से

अशोक कुमार तिवारी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in